न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय ग्वालियर म0प्र0

निगरानी-3509/2018/सतना/भू.रा

कुसुम सिंह पत्नी स्व0राम सिंह उम्र 70वर्ष निवासी घूरडांग पोस्ट आफिस बिरला विकास तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0..............निगराकार

बनाम

म0प्र0शासन राजस्व निरीक्षक सतना जिला सतना म0प्र0.........गैरनिगराकार

श्री वी.के. शुक्ला द्वारा आज दि0 7.6.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12.6.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 12.6.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का0मा0

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0के रा0प्र0क0–92ए12/17–18 में पारित आदेश दिनांक 20.04.18,

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि:–

V.K. SHUKLA ADVOCATE 07/06/18

यह कि आवेदिका/निगराकार के द्वारा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 के गैरनिगराकार के कार्यालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि मौजा घूरडांग की आराजी नं0–186/449/2/क/1/क एवं आराजी नं0–186/449/2क/3 कुल किता 2 कुल रकवा 1.129हे0 के सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया साथ में नक्शा ट्रेस खसरा, खसरा बी–1 एवं स्टेट बैंक का चलान जमा किया।

Received memo 13/8/18 CHATURVEDI

यह कि राजस्व निरीक्षक सतना द्वारा उक्त आराजियातों का सीमांकन करने हेतु टीम गठित की गई टीम गठित के द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन नही किया गया सीमांकन के बाद आवेदिका के पुत्र रविराज सिंह के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि ई0टी0एस0मशीन से

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3509/2018/सतना/भू.रा.

कुसुम सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री व्ही.के. शुक्ला अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना के प्रकरण क्रमांक 92/अ–12/2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20–04–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 5/3/19	